

कार्यालय-जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

सूचना


सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई में बीडिंग से एकत्रित रद्दी पड़ी है, जिसको विक्रय किये जाने हेतु दिनांक 27.11.2024 को समय अपराह्न 01 बजे तक कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कुटेशन तौल में यानि प्रति कुन्टल में देना होगा।

इच्छुक व्यक्ति अपना कुटेशन उपरोक्त समय व दिनांक पर कार्यालय नजारत अनुभाग में जमा कर सकते हैं एवं कार्यालय समय में रद्दी को देख सकते हैं।

शर्तें


- (1) किसी भी कुटेशन को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के पास सुरक्षित रहेगा।
- (2) कुटेशन के साथ यह प्रमाण पत्र देना होगा कि क्रय की हुयी रद्दी का उपयोग केवल गलाने में ही होगा।
- (3) अन्य जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय नजारत अनुभाग में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
- (4) रद्दी के विक्रय की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाइट www.allahabadhighcourt.in व जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की बेबसाइट "ecourts.gov.in/jalaun" पर भी उपलब्ध है।

दिनांक-


(डॉ० अवनीश कुमार)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
जनपद न्यायालय,
जालौन स्थान उरई।

प्रतिलिपि सेवा में:-

- (1) कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- (2) जिला सूचना अधिकारी, उरई को निःशुल्क प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
- (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
- (4) अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- (5) अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- (6) दैनिक कर्मयुग प्रकाश में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
- (7) बाह्य न्यायालयों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


(डॉ० अवनीश कुमार)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
जनपद न्यायालय,
जालौन स्थान उरई।